E-CONTENT

Subject : Economics
Class : B.A Part I (Paper II)
Topic : WTO Agreements

By :
EKATA KUMARI
Guest Faculty
(Assistant Professor)
Rohtas Mahila College
Email I'd :
bhardwajekata@gmail.com

WTO Agreements

(I) Multilateral Agreements on Trade in Goods:

वस्तुओं में व्यापार के समझौते में निम्नलिखित शामिल है –

(i) गैट, 1994 –

गैट 1994 में 1 Jan 1995 तक संशोधित गैट, 1947 के सभी प्रावधान शामिल है, ये प्रावधान कानूनी अधिकारों एवं अनुबन्धों में पारदर्शिता, सरकारी व्यापारिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, कस्टम संघो और स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों पर समझौता तथा गैट के भुगतान संतुलन प्रावधानों पर समझौता से सम्बन्धित है। ये उनसभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है।

(ii) कृषि सम्बन्धी समझौता –

कृषि सम्बन्धी समझौता घरेलू सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी, न्यूनतम बाजार प्रवेश बचनबद्धता, घरेलू सहायता, स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य के उपाय तथा खाद्य भंडारण एवं खाद्य सहायता से सम्बन्धित है।

यह समझौता विकासशील देशों में कृषि के विकास को प्राथमिकता देती है।

(iii) कपड़ा और वस्त्रों का समझौता –

इस समझौते का उद्देश्य कपड़ा तथा वस्त्र क्षेत्र का गैट, 1994 में एकीकरण है, बहुतन्त्रीय समझौते या एम. एफ. ए. का 31 Dec 1994 को स्वीकृत रुकावटें नये समझौते में सम्मिलत कर ली गई है।

एम. एफ. ए. विकासशील निर्यातक देशों के स्वतन्त्रता पूर्वक विकसित देशों को टेक्सटाइल एवं क्लोथिंग के निर्यात को प्रोत्साहन करने वाली सन्धि है।

(iv) व्यापार में तकनीकी बाधाओं का समझौता –

यह समझौता सुनिश्चित करता है कि तकनीकी विमर्श और मानक परीक्षण और प्रमाणन प्रणालियाँ व्यापार के मार्ग में बाधक न बने।

(v.) व्यापार सम्बन्धी निवेश उपायों के पहलुओं पर समझौता (TRIMS) —

व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपाय के अनुसार विदेशी निवेश पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा देना चाहिए। विदेशी निवेशकर्ताओं पर निर्यात संवर्धन, स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग या इसी प्रकार के कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, WTO में TRIMS के प्रावधान विदेशी निवेशकों को विश्व में किसी भी आर्थिक क्रिया मे निवेश करने के अवसर देते हैं।

(II.) General Agreement on Trade in Services – GATS :–

GATS के अधीन पहली बार व्यापार के साथ-साथ सेवाओं के विदेशी व्यापार से भी प्रतिबन्ध हटाने का समझौता किया गया है। GATS में केवल उन्हीं सेवाओं को मुक्त व्यापार करने के लिए चुना गया है जिनके लिए उच्च किस्म की तकनीक की आवश्यकता है, जैसे – बैंकिंग, शिपिंग, यातायात, बीमा, टेलीकम्युनिकेशन आदि। इन सेवाओं पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इसका मुख्य लाभ विकसित देशों को होगा।

(III.) Agreement on Trade Related Aspects of – intellectual Property Rights (TRIPS) :–

TRIPS के अन्तर्गत 4 प्रकार की बौद्धिक सम्पत्ति आती है —

(i.) कॉपीराइट तथा तत्सम्बन्धी अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, संघटित सर्किट तथा व्यापारिक रहस्य। यह समझौता बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों के मध्य विचार-विमर्श को प्रेरित करता है।

(ii.) WTO 'व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार' सम्बन्धी व्यवस्था उत्पादों के पेटेंट की व्यवस्था करता है।

(iii.) स्वेई-जेनेरिस संरक्षण का अर्थ पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य बौद्धिक सम्पत्ति की रक्षा करना है। इसका मुख्य लक्ष्य पौधों के प्रजनन का संरक्षण करना है।

(iv.) समझौते में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं की कोंसिल की स्थापना करने का भी प्रावधान है जो इस समझौते के क्रियान्वयन को देशों की सरकारों द्वारा इसके पालन का मानीटर करेगी।

(IV) <u>Dispute Settlement System</u>:- सदस्यों के आपसी विवादों को निपटारे के लिए नियमों और प्रणालियों के समझौते में प्रावधान किए गए हैं। एक विवाद निपटारा संस्था की भी स्थापना की गई है। इसमें अल्पविकसित देश के विशेष हित के लिए कई प्रावधान हैं।

(V.) <u>Trade Policy Review Machanism - TRPM</u>:- यह समझौता व्यापार तन्त्र के सुचारु रूप से चलने के लिए बहुपक्षीय और अनेक पक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत व्यापार नीतियों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है।